"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 563] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 सितम्बर 2026 — अश्विन 7, शक 1948

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 सितम्बर 2026

अधिसूचना

क्रमांक–GENS/17390/2026. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं, ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा सहित, सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद) के पदनाम,सक्षम प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

अनुसूची

स. क्र.	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 अंतर्गत प्रदान की गई सेवा	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु	60 कार्य दिवस	सहायक सचिव	उप-सचिव	सचिव
2.	डुप्लीकेट अंकसूची प्राप्त करने हेतु	60 कार्य दिवस	सहायक सचिव	उप-सचिव	सचिव
3.	उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन कराने हेतु	पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 60 कार्य दिवस	सहायक सचिव	पंजीयक	सचिव
4.	उत्तर पुस्तिका की फोटो कॉपी प्राप्त करने हेतु	उत्तर पुस्तिका की फोटो कॉपी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 60 कार्य दिवस	सहायक सचिव	पंजीयक	सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीलम टोप्पो, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 29th September 2026

NOTIFICATION

GENS/17390/2026. — In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, notifies the services to be provided by the Chhattisgarh Board of Secondary Education, Raipur as specified in the Schedule given below, along with the stipulated time limit for delivery of such services, the designation of the Designated Officer (post) responsible for providing the service, the Competent Authority and the Appellate Authority, namely:-

SCHEDULE

S. No.	Service to be provided under the Chhattisgarh LokSewa Guarantee Act, 2011	Time Limit for Providing the Service (working days)	Designated Officer(post) Responsible for providing the Service	Competent Authority	Appellate Authority
1.	For obtaining Duplicate Migration Certificate	60 Working Days	Assistant Secretary	Deputy Secretary	Secretary
2.	For obtaining Duplicate Mark sheet	60 Working Days	Assistant Secretary	Deputy Secretary	Secretary
3.	For Re-totaling/ Revaluation of Answer Book	60 Working Days after the prescribed last date for submission of the re-totaling /revaluation application	Assistant Secretary	Registrar	Secretary
4.	For obtaining Photocopy of Answer Book	60 Working Days after the prescribed last date for submission of the application	Assistant Secretary	Registrar	Secretary

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEELAM TOPPO, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.